संख्या:102/2023/496जे०/22-5-23-300(108)/2017

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2023

विषय- जिला कारागार, महराजगंज के विचाराधीन बंदी मनीष उर्फ मन्नी कुमार गौड़ पुत्र स्व0 सुख्खल सिंह के उपचार हेतु धनराशि रू0 80,000/- (रूपया अस्सी हजार मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25716/सामा-1(5)/बं0चि0धना0-मनीष/2023, दिनांक 11-08-2023 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-85/2023/369जे०/22-5-23-300(108)/2017, दिनांक 04-09-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिला कारागार, महराजगंज के विचाराधीन बंदी मनीष उर्फ मन्नी कुमार गौड़ पुत्र स्व0 सुख्खल सिंह का उपचार राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ में कराये जाने हेतु धनराशि रू0 80,000/- (रूपया अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-28811/सामा-1(5)/बं0चि0धना0-मनीष/2023, दिनांक 19-09-2023 में प्राप्त सूचना अनुसार प्रश्नगत बंदी के मा0 न्यायालय के आदेशानुपालन में दिनांक 29.08.2023 को कारागार से रिहा किया जा चुका है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तथ्यों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, महराजगंज के विचाराधीन बंदी मनीष उर्फ मन्नी कुमार गौड़ पुत्र स्व0 सुख्खल सिंह का उपचार कराये जाने हेतु धनराशि 80,000/- (रूपया अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-85/2023/369जे०/22-5-23-300(108)/2017, दिनांक 04-09-2023 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

--2

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:102/2023/496जे0(1)/22-5-23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, महराजगंज ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज ।
5- वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा